

16/3

पत्रावली पेश हुई। दलील पत्रकार उपस्थित।  
दीनारी अधिकारी उपस्थित पर है। मियाल  
दिनांक 29.10.25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। दलील पत्रकार उपस्थित।  
पत्रावलियां अधिक होने की वजह से एकस्थ  
में सुनवाई नहीं हो सकी। अत्र पत्रावली  
दिनांक 30.10.25 का पेश हो।

9/25

10/25

पत्रावली पेश है। मूल कांड अक्रम-बापरी  
अक्रम पेशी से खारिज हो चुका है। मूल कांड  
के खारिज हो जाने के एफ.प. 212 को चलाया  
जाना सार्वजनिक प्रतीत होता है। अतः एफ.प. 212  
Rt to Ct सार्वजनिक होने से इसी स्तर पर खारिज  
किया जाता है। पत्रावली के सिद्ध शुक्र 29 को 22  
नम्बर के क्र. की जाकर 6 अक्टूबर 4 पत्र पेश हैं।  
निर्णय अक्रम दिनांक 30/10/25 को  
द्वारे उपलब्ध सुनाया गया।